UPUN010002372007

IN THE COURT OF
Special Judge (Sc/St Act)
AT ,Unnao
(Presided Over by Ankita Shukla)

Spl Act.sc/st/3000159/2007

1. **राज्य..अभियोजक।**

प्रति

1. असर्फीलाल पुत्र सेमई उर्फ श्यामलाल गोडिया **(दौरान विचारण मृत्यु)**
2. पुतानी उर्फ पुत्तीलाल पुत्र लल्लू उर्फ लालू गोडिया
3. बचनू पुत्र सेमई गोडिया
4. भगौती पुत्र केसन गोडिया
5. गिन्ना पुत्र सेमई उर्फ श्यामलाल गोडिया **(दौरान विचारण मृत्यु)**

निवासीगण ऊचगाँव किला थाना पुरवा जिला उन्नाव।

...........................अभियुक्तगण।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 159/2007
मुकदमा अपराध संख्या- 139/2002,
धारा- 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
एवं 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- पुरवा, जनपद- उन्नाव।

निर्णय

1. अभियुक्तगण असर्फीलाल, पुतानी, बचनू, भगौती व गिन्ना के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 139/2002 में थाना– पुरवा, जिला– उन्नाव की पुलिस ने अन्तर्गत धारा– 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया है। जिसका विचारण किया जा रहा है।

2. अभियुक्तगण असर्फीलाल व गिन्ना की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्ध मुकदमा की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। इस प्रकार शेष अभियुक्तगण पुतानी, बचनू व भगौती के विरूद्ध ही प्रस्तुत विचारण प्रचलित है।

3. संक्षेप में तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि कल दिनांक 27.04.2002 को छेदीलाल धानुक निवासी ऊँचगाँव किला मुड्डन में निमत्रंण में गये थे जहाँ पर वही पर नौटंकी का कार्य क्रम भी था हम लोग नौटकी देख रहे थे वही पर असर्फी पुत्र सेमई अपने हाथ में कट्टा लिये हुये टहल रहा था हमने उनसे कहा कि कट्टा लेकर उधर जाओ यहाँ क्यो टहल रहे हो इसी बात पर गाली

देकर कहां कि तुम से क्या मतलब है हमने गाली देने से मना किया तो असर्फी लाल पुत्र सेमई, पुतानी पुत्र लालू गोडिया, बचनू पुत्र सेमई गोडियां, भगौती पुत्र केशन गोडिया व गिन्ना पुत्र सेमई गोडिया जो वही पर मौजूद थे हाथ में लिये हुए लाठी डण्डो व लात घूसों से मारने लगे जिससे हमारे व हमारे भाई नन्दलाल व गया प्रसाद पुत्र लक्ष्मिन निवासी केसरी खेडा थाना पुरवा के चोटे आई है। मौके पर कमलेश सोनकर पुत्र पुत्तीलाल निवासी पश्चिम टोला कस्बा पुरवा व महमूद निवासी कस्बा पुरवा व अन्य गाँव के व आस पास के नौटकी देख रहे लोगो ने देखा व बचाया है। तब उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये यह घटना समय लगभग 11.30 बजे रात की है। अतः निवेदन है मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. वादी राजेन्द्र प्रसाद की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण असर्फीलाल, पुतानी, बचनू, भगौती व गिन्ना के विरूद्ध दिनांक–28.04.2002 को समय– 12.30 पर मु०अ०सं०–139/2002 धारा– 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा जी०डी० में किया गया। विवेचना संबंधित क्षेत्राधिकारी को सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। नक्शा–नज़री तैयार की तथा सभी आवश्यक साक्षीगण के बयान अंकित कर अभियुक्तगण असर्फीलाल, पुतानी, बचनू, भगौती व गिन्ना के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 49/02 दिनांकित–18.07.2002 को अन्तर्गत धारा– 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट में प्रेषित किया गया।

5. इस वाद की पत्रावली को तत्कालीन सिविल जज जू.डि. न्यायिक मैजिस्ट्रेट, पुरवा ने दिनांक 13.12.2007 को विचारण हेतु इस न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

6. न्यायालय द्वारा उपार्पित पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक–11.03.2008 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण बचनू, पुतानी उर्फ पुत्तीलाल व भगौती के विरूद्ध धारा– 147, 323/149, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

क्रम संख्या	अभीयोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	अभीयोजन कथानक में भूमिका/साक्षी की प्रकृति
1.	पी०डब्ल्यू०–1	नन्दलाल	चोटहिल साक्षी
2.	पी०डब्ल्यू०–2	राजेन्द्र	वादी मुकदमा (तथ्य के साक्षी)
3.	पी०डब्ल्यू०–3	कमलेश	तथ्य के साक्षी

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में साबित कराया गया–

क्रम संख्या	दस्तावेजों का विवरण	प्रदर्श संख्या	साबितकर्ता
1.	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्ल्यू०–2 राजेन्द्र

9– अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–2, जी.डी. को प्रदर्श क–3, मेडिकल रिपोर्ट को क्रमशः प्रदर्श क–4,5,6 व सी.टी. स्केन को प्रदर्श क–7 तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है जो अभियुक्तगण द्वारा समस्त प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की गयी।

<u>10.</u> अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान दर्ज किए गये। धारा 313 द०प्र०सं० के बयान में उपरोक्त अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षीगण के बयानों को झूठा एवं गलत बयान बताते हुए मुकदमा उनके विरूद्ध गलत चलने का अभिकथन किया तथा सफाई साक्ष्य न देने का कथन करते हुए अन्य कथन में कुछ नही कहना है।

<u>11.</u> मैनें विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>12.</u> विशेष लोक अभियोजक की ओर से तर्क किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है तथा अभियुक्तगण को दण्डित किए जाने की याचना की गई।

<u>13.</u> जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को रंजिशन मुकदमें में फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध नही किया गया है। साक्षियों के बयानों में घटना को लेकर विरोधाभाष है। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>14.</u> अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के आलोक में निर्णय हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किए जाते हैः–

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 27.04.2002 को समय करीब 11:30 बजे रात्रि में, वहद स्थान ग्राम ऊँचगाँव किला थाना पुरवा जिला उन्नाव मे आप अपने सह अभियुक्तगण बचनू एवं गिन्ना के साथ एक राय होकर वादी व अन्य लोगो को मार पीट कर चोटे पहुँचाने के आशय से विधि विरूद्ध सम्मेलन बनाकर बलवा कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त दिनाके, समय व स्थान पर आप लोग सहअभियुक्तगण बचनू एवं गिन्ना के साथ विधि विरूद्ध के सदस्य होते हुये उक्त विधि विरूद्ध सम्मेलन के सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करने में लाठी डण्डो व लात घूसो से मार कर वादी राजेन्द्र प्रसाद वादी के भाई नन्द लाल व गया प्रसाद को चोटे आयी ?

3. क्या अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त दिनाक, समय व स्थान पर आप सहअभियुक्तगण बचनू व गिन्ना के साथ एक राय होकर, वादी राजेन्द्र प्रसाद व वादी के भाई व अन्य लोगो को अश्लील गालियां कह कर अपमानित किया और लोक शांति भंग कराने का प्रयास किया ?

4. क्या अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त दिनाक, समय व स्थान पर आप सहअभियुक्तगण बचनू व गिन्ना के साथ एक राय होकर वादी राजेन्द्र प्रसाद व उसके भाई व अन्य लोगो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया ?

5. क्या अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त, समय व स्थान पर आप जानते व पहचानते हुये कि वादी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाली खटिक जाति का है, सहअभियुक्तगण बचनू एवं गिन्ना के साथ विधि विरूद्ध सम्मेलन बनाया, जिसके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में सार्वजनक स्थल पर जनता के समक्ष वादी राजेन्द्र, वादी के भाई नन्द लाल एवं गया प्रसाद को लाठी डण्डो व लात घूसो से मार कर चोटे पहुचायी, अश्लील गालियां कह कर अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दी ?

<u>**15.**</u> उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के समर्थन में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 नन्दलाल**, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से करीब आठ साल पहले की है। मैं अपने भाई राजेन्द्र प्रसाद तथा गाँव के कुछ लोगों के साथ छेदीलाल धानुक नि० ऊचागांव के घर गए थे। वहाँ पर नौटंकी हो रही थी। हम लोग भी वहां नौटंकी देखने लगे। रात में करीब 11:30 बजे एक आदमी जो अपने हाथ में कट्टा लिए था, वहां नौटंकी वाले स्थान के बीच में घूमने लगा तो मेरे भाई राजेन्द्र ने मना किया। वह व्यक्ति गाली–गलौज, माँ–बहन की गालियाँ दे रहा था। मेरे भाई ने मना किया तो उसके गाँव के कई लोग उसकी तरफ से खड़े हो गए। उनका नाम मुझे याद नहीं है। उसके साथ के लोग भी मारपीट के लिए तैयार हो गए। उनमें दो आदमी बचनू व अशर्फी का नाम याद है। इन लोगों ने कट्टे के पिछले वाले हिस्से से मारे थे। मैं गिरा तथा बेहोश हो गया। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद किन लोगों ने मारा। मुझे वहाँ से लोग अस्पताल ले गए। हमको याद नहीं है कि रिपोर्ट किसने लिखाई थी।

<u>**16.**</u> साक्षी ने जिरह में कथन किया कि मैं इन्टर तक पढ़ा हूँ। घटना 27.04.2002 की घटना है। घटना वाले दिन गांव पर 10:30 के बाद पहुचा था। मेरे साथ 3–4 लोग और थे। महमूद, कमलेश, गया प्रसाद इत्यादि लोग थे। मेरे पास लाइसेंसी दोनाली बंदूक थी। दोनाली बंदूक साथ लेकर नहीं गया था। मेरी बंदूक वहाँ पर होनी नहीं पायी थी। वहाँ पर मैं छेदीलाल धानुक के यहाँ निमंत्रण पर गया था। नन्दलाल हम लोग जीप से गए थे। 10:30 के बाद वहां पहुच गए थे। दो–चार मिनट बाद पहुंच गए। नौटंकी उक वक्त चालू थी। जब वहां पहुचा तो नौटंकी चालू थी। घर के पास ही नौटंकी चल रही थी। पहले मैं उनके घर पर ही गया। बाद में नौटंकी देखने आया हूँ। उनके घर थोड़े समय पहले ही पहुचा था। दो–चार मिनट रूककर नौटंकी वाले स्थान पर पहुंचा था। वहां पर कुछ लोग थे। मैं उस स्थान पर कुछ देर खड़ा था। गाड़ी रोड़ पर खड़ी थी। हम नौटंकी वाले स्थान पर खड़े थे। घटना ही मेरे साथ हुई थी। गांव के कुछ लड़को पे अवैध असलहा लिए थे, मैंने उन्हें देखकर मना किया कि सब लोग नौटंकी देख रहे हे, देखने दो, डिस्टर्ब न करो। इतने पर इन्होंने मेरे पर अवैध असलहों से वार कर दिया। अवैध असलहों के प्रहार के कारण मेरे कान के पास चोटें आई थी। असलहा से चोट के कारण मैं गिर पड़ा चोट के कारण बेहोश हो गया था। घटनास्थल

पर होश नहीं आया था। वहाँ से हेम पुलिस उठाकर ले गई थी। पुलिस ने जब उठाया तो होश में नहीं था। भईया ने बताया था कि पुलिस ने मुझे उठाकर ले गए थे। नौटंकी देखने वाले में लगभग 100 आदमी मौजूद रहे होंगे। इसके बाद चूंकि मैं बेहोश हो गया था, चोट के कारण मैं नहीं बता सकता। बाद में याद इसकी रिपोर्ट बड़े वाले भइया ने लिखाई थी। मैं कैसे साथ जाता बेहोश था। मैं नहीं बता सकता रिपोर्ट थाने मे लिखकर किसने दी। मैं नहीं बता सकता हूँ जो सच बात है वहीं बता रहा हूँ। यह कहना गलत है accident होने के कारण मुझे चोटे आई, मुल्जिमानो के मारने से मेरे शरीर में चोट लगी थी।

17. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के समर्थन में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्ल्यू०–2 राजेन्द्र** को परीक्षित कराया गया। यह साक्षी उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना दिनांक 27.04.2002 समय 11 बजे रात की है। पूती अशर्फी गिन्ना बचनू निवासीगण ऊँचगाँव थाना पुरवा उन्नाव में उस दिन ऊँचगाँव में मुंडन का कार्यक्रम था, जिसमें मैं गया था। वहाँ पर नौटंकी हो रही थी। नौटंकी देख रहे थे। हम हमारे भाई व अन्य लोग नौटंकी देख रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर देशी कट्टा लेकर अशरफी, पूती, गिन्ना, बचनू इत्यादिकट्टा लेकर घूम रहे थे। असलहा चारो लोग नाजायज असलहा लेकर घूम रहे थे। हमने मना किया तो गाली देने लगे एवं लात–घूँसों व असलहों से मारने लगे। मुझें काफी चोट आई थी। मेरे भाई नंदलाल एक आदमी और था नाम नहीं याद है। शायद गया प्रसाद नाम था। उसे चोटे आई थी। घटना को पूरी महफिल ने देखा था। जयनारायण ने भी घटना देखी थी। कई लोगों ने घटना को देखा पर इस वक्त नाम याद नहीं है। कई लोगों ने बीच बचाव किया, जब किसी ने कहा कि पुलिस आ रही है तो मुल्जिम छोड़कर भाग गए थे। जाते समय मुल्जिमान जानमाल की धमकी दे गए थे सोनकर। इस घटना से संबन्धित थाने पर सूचना दिया था, जो पत्रावली में संलग्न 4क/2 है जो शामिल मिसिल तहरीर को देखकर कहा कि यह वही प्रार्थना–पत्र है जो थाने पर स्वयं लिखकर दिया था। प्रार्थना–पत्र पर हमारे ही दस्तखत बने है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। रिपोर्ट लिखे जाने पर पुलिस ने पूँछताँछ की थी। सी०ओ० ने भी हमसे पूँछताँछ किया। पुलिस ने मेरा मेडिकल व शेष अन्य चोटहिलों का भी मेडिकल कराया था।

18. साक्षी ने जिरह में कथन किया कि 27.04.2002 की घटना है। रात के लगभग 11 बजे थे। घटना वाले दिन उसी कार्यक्रम में ऊँचगाँव में थे। नौटंकी देखने के लिए शाम को 7 बजे ऊँचगाँव के लिए निकला था। दो लोग हमारे साथ और कार्यक्रम देखने के लिए आए थे। अपनी सवारी से गए थे। वृन्दा के यहाँ मुंडन का कार्यक्रम था, उसी में शामिल होने गए थे। 02–02:30 बजे मुंडन हो गया था। मेरे घर की औरते मुंडन में गई थी। मैं शाम को कार्यक्रम में गया था। नौटंकी लगभग 10 बजे के करीब चालू हुई थी। मुल्जिमानों को पहले से भली भॉति जानते पहचानते थे। मुल्जिमानों के पिता के नाम गाँव के लोगों द्वारा बताया गया। मुझें भी कुछ याद था, जिसके आधार पर प्रार्थना–पत्र में नाम लिखाया। नौटंकी में ज्यादा संख्या लोगों की थी। नौटंकी हो रही थी, 11 बजे के करीब यह घटना घटी उसी में मुल्जिमानों ने बलवा कारित किया। नौटंकी में 3–4 लोग जब देशी कट्टा लिए घूम रहे थे, जिनको मैं जानता अशरफी, पूती, बचनू, गुन्ना, भगौती इत्यादि थे। मैंने ऐसा करने से मना किया सबके हाथों में कट्टा था। कहे हाथों में लिए थे, कितने बोर के थे मैं नहीं बता सकता हूँ। हमारे मना करने पर तथा और लोगों के ऐसा करने पर मना करने

पर नंदलाल के मना करने पर वह आक्रोशित हो गए। हम लोग ने कट्टा छीनने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद मुल्जिमान ने गाली देना शुरू किया, तो हमने मना किया तो मुल्जिमान द्वारा लाठी डण्डों, लात घूसों से मारा। मुझे सारे मुल्जिमानों ने मारा था, जिनके नाम बताए उन्होंने ही मारा था। इस घटना में एकाध घाव लगा होगा। समय मैंने नहीं देखा। चोट के बाद जब मैं बेहोश हो गया उसके बाद मैं नहीं बता सकता कि वो किधर गए, कहॉ गए, जब अस्पताल में इलाज हुआ तो 2 बजे रात में होश आया था। अस्पताल में मुझें कौन ले गया मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे साथ कौन–कौन अस्पताल गया था मैं नहीं बता सकता। उसके बाद और किसको किसको चोटे आई मैं नहीं बता सकता। सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज लिए क्योंकि डॉ० ने हमें कानपुर रिफर कर दिया था। 2 बजे रात में ही घर वाले हमको लेकर कानपुर चले गए। कानपुर लगभग 5 बजे रिजेन्सी हॉस्पीटल में पहुँच गया था। अस्पताल में ही पूरा इलाज हुआ था। घटनास्थल से पुरवा अस्पताल के बाद रिजेन्सी हॉस्पीटल कानपुर गया था। रिजेन्सी में लगभग 3–4 दिन तक भरती था। 3–4 दिन बाद घर गया था। थाने में रिपोर्ट किसने लिखाई मुझें याद नहीं। बाद में थाने मैं नहीं गया था। सी०ओ० साहब ने कहाँ बयान लिया मुझे याद नहीं है। दोबारा मैं घटनास्थल पर नहीं गया और न ही पुलिस गई थी। विवेचक ने नक्शा कैसे बनाया मैं नहीं जानता हूँ। घटनास्थल से अस्पताल मुझे पुलिस नहीं ले गई बाद में पुलिस आई थी। गाँव वाले डाक्टरी कराने ले गए थे। यह कहना गलत है कि लोगों के कहने पर गलत मुकदमा लिखाया था। यह कहना गलत है कि रात होने के कारण मुल्जिमानों को नहीं पहचान सकता।

19. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के समर्थन में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **कमलेश** को बतौर **पी०डब्ल्यू०–3** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना दिनांक 27.04.2002 समय रात 11 बजे की है। मैं उस दिन ऊँचगाँव में मुण्डन के कार्यक्रम में गया था। मेरे साथ नंदलाल, राजेन्द्र, महमूद एक साथ मुण्डन कार्यक्रम में गए थे। वहाँ पर नौटंकी हो रही थी। पहले मैं जिनके यहाँ मुण्डन कार्यक्रम था वहाँ पर गया था। व्यवहार दिया था। फिर नौटंकी देखने गया था। हम लोग पास में ही नौटंकी देख रहे थे। वहाँ पर अशर्फी असलहा लहराते हुए आए। अशर्फी के साथ 3 लोग और थे, जिनके नाम गिन्ना, बचनू व एक नाम याद नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कहा कि असलहा लहरा रहे हो, उसको घर में रख आओ वह नाराज हो गए और हम लोगों को जाति सूचक खटिक कहते हुए गन्दी–गन्दी गॉलियॉ देने लगे। अशर्फी ने नंदलाल के कट्टे की वट से कान पर मारा था, जिससे नंदलाल के कान से खून निकल रहा था। नंदलाल का इलाज रिजेन्सी अस्पताल कानपुर में 3 साल चला। इस घटना के संबंध में राजेन्द्र ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई। इस घटना को बहुत लोगों ने देखा। घटना के संबंध में विवेचक ने बयान लिया था। जो घटना सही थी बता दिया था।

20. साक्षी ने जिरह में कथन किया कि मैं इण्टर पास हूँ। राजेन्द्र और नन्दलाल हमारे सगे चचेरे भाई है। घटना दिनांक 27.04.2022 की है। मैं लोहे का काम करता हूँ। घटना वाले दिन मैं ऊँचकिला गाँव गया था। घटना वाले दिन मैं रात 10:15 से 10:30 बजे पुरवा से गया था। मैं 10:45 पर ऊँचगाँव पहुँच गया था। पुरवा से ऊँचगाँव हम लोग जीप से गए थे। जीप खुद की थी। उस जीप में हम लोग चार लोग थे। राजन, नंदलाल, कमलेश और गया बैठे थे। राजेन्द्र के नाम लाइसेंसी बंदूक थी। राजेन्द्र या नंदलाल के पास ही लाइसेन्सी बंदूक थी। वह बाईक लेकर नंदलाल व राजेन्द्र अपने साथ लेकर घटनास्थल पर गए थे।

किसके यहाँ मुण्डन संसकार में गया था इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है। उनके लड़के का नाम जितेन्द्र है। नंदलाल के घर भी कार्ड था। गया मिस्त्री के नाम से था। कार्ड मेरे भी नाम से था। साढे 10:00 बजे के करीब की बात थी। मुंडन में नहीं उस पार्टी में गया था। अशर्फी ने कट्टे से नन्दलाल के कनपटी पर मारा था। नंदलाल वहाँ चोट खाकर बेहोश हो गए थे। नंदलाल का रिजेन्सी हॉस्पिटल कानपुर में इलाज हुआ था। नन्दलाल को कट्टे की वट से लगी थी। पत्थर गुम्मा चलाए थे। वह चोट भी लगी। मुल्जिमानों ने चलाया था। राजेन्द्र बेहेश नहीं हुए थे। यदि राजेन्द्र ने बेहोश होने की बात कही है तो गलत है या सही यह नहीं बता सकता। रोने लगे थे, फिर कहा गलत कहा है। राजेन्द्र रोने लगे थे। बन्दूक राजेन्द्र या नंदलाल जिसके नाम रही हो लेकिन उसको गया पकड़े हुए थे। वहाँ तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बेहोश होने के बाद नंदलाल को पूरवा अस्पताल ले गए। जीप से लाते समय मैं, राजेन्द्र व गया भी साथ में थे। साथ में नन्दलाल भी जीप में थे। पुलिस वहाँ पहले से मैजूद नहीं थी, जब लोग थाने पर पहुँचे तब वहाँ से पुलिस आई थी। राजेन्द्र के साथ कौन–कौन गया था इतना याद नहीं है। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस के साथ कोई अन्य व्यक्ति नही था। अशर्फी तब तक भाग गए थे, पुलिस अपनी जीप से आई थी। नंदलाल की कट्टे की चोट सिर व कनपटी पर लगी थी और चोटें नहीं देखा था। पुलिस घटनास्थल पर मौके पर छानबीन करके नंदलाल को पुरवा अस्पताल ले गई। अपने जीप से नंदलाल पुरवा गए थे। पुलिस भी साथ गई थी। नंदलाल को जीप में लेटाकर पुरवा अस्पताल ले गए। रिजेन्सी हॉस्पिटल दूसरे दिन सुबह लेकर गए थे। पुरवा में केवल नंदलाल को मेडिकल हुआ था और किसी का नहीं। घटनास्थल पर 10:30–10:45 करीब पहुँच गया था। करीब रात के 11 बजे की घटना है। नंदलाल, राजेन्द्र, गया, मिस्त्री मैं स्वयं वहाँ पर साथ गए थे। नौटंकी जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर नौटंकी चालू थी। नौटंकी में तमाम लोग थे वहाँ लाइसेन्सी बन्दूक से फायर नहीं किया गया था। नौटंकी 15 मिनट देखी उसके बाद यह घटना घटी, मारपीट की ही घटना हो गया। उस दिन ही उस गाँव मैं गया था। एक ही बार गया था। मुल्जिमानों को मैं जानता हूँ। शेष अन्य लोगों को नहीं बता सकता हूँ। बियर अशर्फी के साथ बैठे थे। वह अशर्फी असलहा लेकर नौटंकी में आए थे, उसी बात को लेकर नंदलाल व अशर्फी से वाद विवाद हुआ था। पहले विवाद नंदनलाल व अशर्फी से हुआ था। अशर्फी के हाथ में कट्टा था और किसी के हाथ में कट्टा नहीं था। नौटंकी में असलहा को लेकर विवाद हुआ कि नंदलाल ने अशर्फी से कहा कि यह कट्टा घर में रखकर आओ तब यह नौटंकी देखों इसी पर विवाद है। नंदलाल थाने रिपोर्ट करने कैसे जाएगे, ये बेहोश थे। राजेन्द्र थाने गए थे। रिपोर्ट लिखाने नंदलाल के साढू लेकर रिजेन्सी में ले के गए थे। पुरवा से रिजेन्सी हॉस्पीटल भेजा दिया। खून अनवरत बह रहा था। रूक नहीं रहा था इसलिए रिजेन्सी हॉस्पिटल भेजा गया। नन्दलाल के पत्नी व साढू भी साथ गए थे। पुलिस साथ में नहीं गई थी। यह जो घटना हुई है वह सारी बाते सच–सच बता रहा हूँ। यह आज बयान दे रहा हूँ। अदालत में पहली बार दे रहा हूँ। वहाँ पर भी बयान हुआ था और कोई घटना मैंने नहीं देखी। यह कहना गलत है कि मैने घटना देखी नहीं झूठ हो। यह सच अशरफी ने असलहा लिया था। उसी की मार से चोट आई थी। यह कहना गलत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नंदलाल व राजेन्द्र सगे चचेरे भाई है, इसलिए झूठी गवाही दे रहा हूँ और कुछ नहीं कहना है।

21. पत्रावली में आरोप के अनुक्रम में पाँच अवधार्य बिन्दु विरचित किए गये है। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु एक ही साक्ष्य से सम्बन्धित है एवं घटना क्रम परस्पर सम्बन्धित है तथा उसके सम्बन्ध में साक्ष्य भी संयुक्त रूप से आए है। अतः साक्ष्यों की पुनरावृत्ति न हो ऐसी स्थिति मे पाँच अवधार्य बिन्दु का विवेचन समग्र रूप से एक ही साथ किया जा रहा है।

22– अभिलेखीय साक्ष्य में नक्शा नजरी पूर्व से इस पत्रावली में संलग्न नही था जिसके संबंध में एस.पी. उन्नाव व डी.डी.सी.(क्रिमिनल) को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया परंतु कोई जवाब अभियोजन की तरफ से प्राप्त नही हुया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब घटना वादी मुकदमा व चोटहिल के बयानो से साबित है पर अभियोजन के एक अभिलेखीय प्रपत्र न होने से निर्णय में कोई विपरीत प्रभाव नही होगा।

साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष

23- उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपित अपराध जो घटना की तिथि को प्रवृत्त थे वे निम्न प्रकार से हैः-

धारा–323 भा०दं०सं० यह उपबन्धित करती है कि– जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–147 भा०दं०सं० यह उपबन्धित करती है कि– जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–504 भा०दं०सं० यह उपबन्धित करती है कि– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–506 भा०दं०सं० यह उपबन्धित करती है कि– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

एस.सी.एस.टी. एक्ट 3(1)10– यह उपबन्धित करती है कि– जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसकी अपमानित या अभित्रस्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास के कम की नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

24– पत्रावली में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)X एस०सी०/एस०टी० एक्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत पत्रावली में चोटहिल साक्षी पी.डब्लू.–1, वादी मुकदमा पी०डब्लू०–2 तथा तथ्य के साक्षी पी.डब्लू.–3 का बयान आरोपित अपराध के सम्बन्ध में उपलब्ध है। चोटहिल साक्षी पी.डब्लू.–1 तथा वादी

मुकदमा पी.डब्लू०–2 द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानो में अभियुक्तगण द्वारा मार पीट किये जाने का अभिकथन किया गया है तथा चोटहिल नन्दलाल द्वारा अपने बयान में यह भी कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कट्टे के पिछले वाले हिस्से से मारा था जिससे वह बेहोश हो गया। चोटहिल साक्षी पी०डब्लू०–1 व 2 के बयानों के आलोक में पत्रावली में संलग्न मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल के शरीर पर चोटे पायी गयी है तथा चोटहिल के शरीर पर पायी गयी चोटे चोटहिल के इस बयान की सम्पुष्टी करती है कि अभियुक्तगण के मारे पीटे जाने से चोट आयी। इस प्रकार से चोटहिल का यह बयान कि अभियुक्तगण द्वारा मार पीट की गयी जिससे उसे चोटे आयी की सम्पुष्टी मेडिकल रिपोर्ट से होती है जिसकी विश्वसनीयता अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 27.04.2002 की बतायी गयी है तथा चोटहिल द्वारा अपना का मेडिकल दिनांक 28.04.2002 को कराया गया है तथा डाक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट में सभी चोटे साधारण तथा ताजी होना अंकित किया है। मेडिकल रिपोर्ट में सभी चोटे साधारण तथा ताजी होने के तथ्य से चोटहिल को मारपीट से आयी चोटे की सम्पुष्टी होती है। वादी मुकदमा तथा चोटहिल साक्षी से जिरह में ऐसा कोई प्रश्न नही पूछा गया जिससे उनके बयानो में विरोधाभाष हो जो उसे अविश्वसनीय बनाता हो। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के अधिवक्ता का यह कथन की चोटे गिरने से आयी है, यह उचित प्रतीत नही होता है क्यो कि घटना व घटना स्थल दोनो बयानों में साबित है।

25. वादी मुकदमा ने अपने मुख्य बयान अथवा प्रतिपरीक्षा में सिर्फ सरसरी तौर पर अभियुक्तगण द्वारा गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने का अभिकथन किया गया है परंतु बयानो में मात्र गाली देने की बात कही कोई विशिष्ट गाली का उल्लेख नही है न ही इस बात का उल्लेख है कि किस प्रकार से जान से मारने की धमकी दी गयी जिससे यह साबित नही है कि लोक शान्ति भंग का अपराध कारित किया हो। यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में मार पीट होना साबित परंतु वो मारपीट उसके विरूद्ध समाज में नीचा दिखाने या खटिक जाति का होने के आधार पर किया गया है इस बात की पुष्टि नही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया है कि मात्र अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता, जब तक कि जाति के आधार पर अपमान करने का स्पष्ट इरादा न हो। जैसा कि **खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2020) 18 एससीसी 763** में कहा गया है, जहां यह माना गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)5 के तहत अपराध साबित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हो, बल्कि यह साबित करना आवश्यक है कि अपराध पीड़ित के खिलाफ उसकी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होने के कारण जाति के आधार पर किया गया था। उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में इस न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण द्वारा किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग का अभाव एवं जाति के आधार पर अपमान करने का स्पष्ट इरादा न होने को दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट का अपराध गठित नही होता है।

26– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–323/149 भा०दं०सं० के सम्बन्ध में वादी मुकदमा व चोटहिल साक्षी के बयान तथा मेडिकल रिपोर्ट से होती है तथा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– 147, 504, 506 भा०द०सं० व धारा–3 (1) 10

एस.सी.एस.टी. ऐक्ट के अपराध के सम्बन्ध में पत्रावली पर सम्पुष्टीकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार अवधार्य बिन्दु इस आशय से निर्णीत किये जाते है कि अभियोजन अभियुक्तगण पुतानी उर्फ पुत्तीलाल, बचनू व भगौती के विरूद्ध धारा–323/149 भा०दं०सं० का अपराध स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है तथा धारा– 147, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–3 (1) 10 एस.सी.एस टी. ऐक्ट का अपराध स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

27– अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण पुतानी उर्फ पुत्तीलाल, बचनू व भगौती को अन्तर्गत धारा–323/149 भा०द०सं० दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा धारा–147, 504, 506 भा०दं०सं० व 3 (1) 10 एस०सी०एस०टी० ऐक्ट के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाय। उसके जमानतनामें एवं मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्यों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–30.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02, उन्नाव।
आई०नं०– यू०पी० 06438

पत्रावली लंच बाद पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य अभियुक्तो के साथ मिल कर वादी पक्ष को मार पीट कर चोटे पहुंचायी गयी है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम सजा से दण्डित किया जाये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण वृद्ध व्यक्ति है तथा सामान्यतः बीमार रहते है। अभियुक्तगण विगत लगभग 24 वर्षो से मुकदमें की अनवरत पैरवी कर रहे थे तथा ट्रायल में पूरा सहयोग किया था। अभियुक्तगण के ऊपर परिवार के जीविकोपार्जन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है तथा अभियुक्तगण कृषि कार्य करके शान्ति प्रिय नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे है। अभियुक्तगण परिवीक्षा की शर्तो के अधीन रिहा होने पर परिशान्ति कायम रखेगे तथा सदाचारी बने रहेगे और जब भी न्यायालय तलब करेगा बराबर उपस्थित आते रहेगे। अभियुक्तगण परिवीक्षा आदेश का कोई उल्लंघन नही करेगे तथा समाज में रह कर शान्ति व सौदार्य का वातावरण बनाये रखेगे। अभियुक्तगण को मुकदमा उपरोक्त में प्रोवेशन पर रिहा करने की याचना की गयी है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी पक्ष को अभियुक्तगण द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर उसे मार पीटकर चोटे पहुंचायी गयी जिसमें वादी पक्ष को चोट आई। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत घटना वर्ष 2002 की है तब से अभियुक्तगण लगातार न्यायालय में आकर विचारण में सहयोग करते रहे है तथा न्यायालय का परिणाम आने में लगभग 24 साल की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा कारित अपराध अधिकतम एक वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है तथा ऐसी परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 अभियुक्तगण

को दण्ड देने से पूर्व परिवीक्षा पर विचार किये जाने हेतु उपबन्धित करती है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध, मामले की परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विचार में लिये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा-4 का लाभ प्रदान करना समीचीन प्रतीत होता है तथा परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा-5 के अन्तर्गत वादी साक्षी को आयी चोटो के दृष्टिगत प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

1- अभियुक्तगण **पुतानी उर्फ पुत्तीलाल, बचनू व भगौती** को विशेष सत्र परीक्षण सं0-159/2007, मु0 अ 0 सं0-139/2002, धारा-323/149 भा0 दं0 सं0 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

2- अभियुक्तगण **पुतानी उर्फ पुत्तीलाल, बचनू व भगौती** को धारा- 147, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व 3(1)10 एस 0 सी0 एस 0 टी0 ऐक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

3- अभियुक्तगण उपरोक्त को दण्डादेश पारित करने के स्थान पर धारा-4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत सदाचरण एवं शान्ति बनाये रखने की शर्तो के अधीन छः माह की अवधि के लिए परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 20,000/-रू0 (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इस आशय की अण्डरटेंकिग-

ए- कि वह 20,000 (बीस हजार) रूपये की दो प्रतिभू एवं इतनी ही धनराशि के निजी बंध पत्र एक सप्ताह के अन्दर परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा

बी- अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा छः माह की परिवीक्षा अवधि के दौरान सदाचरण एवं शान्ति बनाये रखेगा।

सी- यह भी शर्त अधिरोपित किया जाता है कि यदि छः माह की अवधि में अभियुक्तगण सदाचरण एवं शान्ति बनाये रखने का उलंघन करता तो अभियुक्तगण इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे तथा अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर उसको दण्ड के बिन्दु पर सुनकर नियमानुसार दण्ड के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाएगा।

डी- जिला परिवीक्षा अधिकारी को निर्णय की प्रति अनुपालनार्थ इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे परिवीक्षा की शर्तो के अनुपालन की निगरानी करेगें तथा उलंघन के तथ्य से न्यायालय को अवगत करायेंगे।

4. अभियुक्तगण **पुतानी उर्फ पुत्तीलाल, बचनू व भगौती** को यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा–5 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत चोटहिल साक्षी नन्दलाल व राजेन्द्र को आयी चोटों के प्रतिकर स्वरूप में प्रत्येक द्वारा मु०–2,000/– (दो हजार) रूपये की धनराशि 15 दिन के अन्दर न्यायालय में जमा करें। उक्त धनराशि चोटहिल नन्दलाल व राजेन्द्र को आधी–आधी देय होगी।

दिनांक–30.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02, उन्नाव।
आई०नं०– यू०पी० 06438

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–30.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02, उन्नाव।
आई०नं०– यू०पी० 06438